भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3452
दिनांक 17 दिसम्बर, 2024/ 26 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

न्यायालयिक प्रयोगशालाओं की अवसंरचना

†3452. श्री कृपानाथ मल्लाहः

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना का ब्यौरा क्या है और लागू नए आपराधिक कानूनों के संदर्भ में यह योजना किस सीमा तक प्रासंगिक है;
(ख) देश में केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल), राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एसएफएसएल) और क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (आरएफएस) की आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यवार कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में सीएफएसएल, एसएफएसएल, आरएफएसएल में आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार कुल कितनी रिक्तियां हैं;
(घ) देश में आन्ध्र प्रदेश सहित प्रत्येक सीएफएसएल, एसएफएलएल, आरएफएसएल के समक्ष लंबित मामलों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है; और
(ङ) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान न्यायालयिक प्रयोगशालाओं में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) सरकार द्वारा दिनांक 19.06.2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक ₹2254.43 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ "राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना में वृद्धि हेतु योजना (एनएफआईईएस)" को मंजूरी दी गई है। यह योजना फोरेंसिक परीक्षण अवसंरचना में वृद्धि करेगी, न्यायालयिक पेशेवरों कि कमी

को दूर करेगी और देश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में मामलों की जांच में तेजी लाएगी। इस योजना के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के 09 ऑफ-कैंपस, 07 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और एनएफएसयू के दिल्ली परिसर के मौजूदा अवसंरचना में वृद्धि शामिल है।

नए आपराधिक कानूनों के अधिनियमन के साथ, जो 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना में महत्वपूर्ण निवेश और वृद्धि अनिवार्य है। राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त ऑफ-कैंपस और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति की कमी को दूर करने, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के केस भार/ लंबित मामलों को कम करने हेतु आवश्यक है।

(ख) वर्तमान में, देश मे फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के तहत देश में 7 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) हैं। ये सीएफएसएल भोपाल (मध्य प्रदेश), चंडीगढ़, कामरूप (असम), हैदराबाद (तेलंगाना), पुणे (महाराष्ट्र), दिल्ली और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं। भारत सरकार ने सांबा, जम्मू में आठवें सीएफएसएल की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अलावा, राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना के तहत 860.3 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ देश में 07 अतिरिक्त सीएफएसएल की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में 32 राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं और 97 क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं। आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में देखा जा सकता है।

(ग) राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एसएफएसएल) में रिक्ति की स्थिति से संबंधित डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के तहत सात केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में 123 रिक्तियां हैं।

लोक सभा अता. प्र.सं. 3452 दिनांक 17.12.2024

(घ) राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एसएफएसएल) में लंबित मामलों के बारे में डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। पिछले पाँच सालों में, (2020-21 से 2024-25 अक्टूबर तक) सात सीएफएसएल को कुल 69,826 मामले प्राप्त हुए हैं। इसमें से 45,891 मामलों की जांच की जा चुकी है। सीएफएसएल में लंबित मामलों की संख्या (अक्टूबर, 2024 तक) इस प्रकार है:

सीएफएसएल	लंबित मामले
सीएफएसएल, भोपाल	87
सीएफएसएल, चंडीगढ़	665
सीएफएसएल, दिल्ली	937
सीएफएसएल, हैदराबाद	423
सीएफएसएल, कामरूप	252
सीएफएसएल, कोलकाता	1340
सीएफएसएल, पुणे	249
कुल	3953

(ङ) लंबित मामलों को कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने देश में फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) भोपाल, गुवाहाटी और पुणे में तीन नई सीएफएसएल स्थापित की गई हैं और कोलकाता में मौजूदा सीएफएसएल का आधुनिकीकरण किया गया है।

(ii) फोरेंसिक विज्ञान के नए विषयों जैसे कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, डिजिटल फोरेंसिक, डीएनए फोरेंसिक विश्लेषण, फोरेंसिक मनोविज्ञान आदि समेत केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में मशीनरी और उपकरणों का उन्नयन किया गया है।

(iii) चंडीगढ़ स्थित में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण और अनुसंधान एवं विकास सुविधा स्थापित की गई है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 3452 दिनांक 17.12.2024

(iv) डिजिटल धोखाधड़ी/साइबर फोरेंसिक के महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल) की स्थापना की गई है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 126.84 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ देश में 06 अतिरिक्त एनसीएफएल को सीएफएसएल चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, कामरूप, भोपाल और पुणे में स्थापित करने की मंजूरी दी है।

(v) देश में 117 फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (केंद्रीय और राज्य) को जोड़ने वाले ई-फोरेंसिक आई.टी. प्लेटफॉर्म को शुरू कर दिया गया है।

(vi) राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (राज्य एफएसएल) में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सभी परियोजनाओं (30) हेतु 245.29 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। अब तक 185.28 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(vii) फोरेंसिक विज्ञान में जनशक्ति के क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए डीएनए साक्ष्य के संग्रह, भंडारण और हैंडलिंग तथा यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट के उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 32,524 जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस प्रशिक्षण के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 18020 यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट भी वितरित किए हैं।

(viii) इसके अलावा, वर्ष 2022 में "फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण" योजना का 2080.5 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदन किया गया है। इस स्कीम के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं को विकसित करने, मशीनरी और उपकरणों का आधुनिकीकरण मोबाइल फोरेंसिक वैन सहित, तथा देश में फोरेंसिक विज्ञान हेतु शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करके इन प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता उपलब्ध है। इस योजना में अब तक, 20 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण/उन्नयन" के घटक हेतु 200 करोड़ रुपए अनुमोदित किए जा चुके हैं। इसके अलावा,

इस योजना के तहत अब तक 433 मोबाइल फोरेंसिक वैन की खरीद के लिए 23 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ix) फोरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

- एनएबीएल मानदंडों (आईएसओ 17025) के अनुसार प्रयोगशालाओं के प्रमाणन हेतु गुणवत्ता मैनुअल और फोरेंसिक विज्ञान के नौ विषयों में कार्य पद्धति मैनुअल।
- जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के प्रयोजनार्थ यौन हमले के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख-रखाव और उन्हें लाने-ले जाने हेतु ।
- फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना / स्तरोन्नयन के लिए उपकरण की मानक सूची।

******

<u>लोक सभा अता. प्र.सं. 3452 दिनांक 17.12.2024</u>

अनुलग्नक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की न्यायालयिक प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य एफएसएल की संख्या	क्षेत्रीय एफएसएल की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	1	0
2	आंध्र प्रदेश	1	5
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0
4	असम	1	5
5	बिहार	1	2
6	छत्तीसगढ़	1	3
7	दिल्ली	1	1
8	गुजरात	1	7
9	गोवा	1	0
10	हरियाणा	1	4
11	हिमाचल प्रदेश	1	2
12	झारखंड	1	0
13	जम्मू और कश्मीर	1	1
14	केरल	1	3
15	कर्नाटक	1	7
16	पश्चिम बंगाल	1	2
17	मध्य प्रदेश	1	4
18	महाराष्ट्र	1	12
19	मणिपुर	1	0
20	मेघालय	1	0
21	मिजोरम	1	0
22	नागालैंड	1	0
23	ओडिशा	1	3
24	पुडुचेरी	1	0
25	पंजाब	1	3

<u>लोक सभा अता. प्र.सं. 3452 दिनांक 17.12.2024</u>

अनुलग्नक

26	राजस्थान	1	6
27	सिक्किम	1	0
28	तमिलनाडु	1	10
29	तेलंगाना	1	4
30	त्रिपुरा	1	0
31	उत्तर प्रदेश	1	12
32	उत्तराखंड	1	1
	कुल	32	97

(स्रोत: न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

****